FORM NO. 03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

[illegible] वगैरा बनाम राज राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 88 RTA मु0न0 42 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
2/5/22	पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA के तहत् पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 12/5/22 को पेश हो। (सुन्दरलाल बम्बोडा) सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा	
12/5/22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है। समन तामील [illegible] [illegible]। पत्रावली वास्ते जवाब के दिनांक 14/5/22 को पेश हो।	
14/5/22	पत्रावली पेश हुयी। वादी अधिवक्ता एवं पेशकार सरकार उपस्थित। विपक्षी/प्रतिवादी की ओर से अवगत कराया कि प्रकरण से राज्य हित प्रभावित नहीं है। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। पत्रा० दिनांक 18/5/22 को कैम्प [illegible] पेश हो।	
18/5/22	पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण [illegible] गांवों के संग अभियान 2021 के फोलो अप कैम्प मुख्यालय बोराणा पर मजमे आम प्रकरण में वर्णित तथ्यों की जांच की गयी। शिविर में उपस्थित बोराणा निवासीयान के	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण संख्या 42/2022 (2022/162)	
	के द्वारा बताया गया कि खातेदार आमना पुत्री ताजमोहम्मद के नाम की भूमि स्थित है। आमना ग्राम बोराणा की बहिन-बेटी है। आमना के वादीगण पुत्र, पौत्र एवं पुत्रवधु है। इनके नाना का नाम ताज-मोहम्मद है। आमना के पति का नाम गुलाम नबी है। जिसके वादीगण वारिस है। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से स्वतन्त्र गवाहों के भी बयान करवाये गये है जो शामिल पत्रावली है।	हस्ताक्षर अफजल
	उपरोक्त विवरण से पाया कि वाद वर्णित भूमि आमना पुत्री ताज-मोहम्मद के स्वामित्व की थी। वादीगण की ओर से इस प्रकरण मे आमनाबानू का मृत्यु प्रमाण पत्र जो दिनांक 17/3/2016 को जारी किया गया कि प्रति पेश की गयी जो प्रदर्श 09 है। जिसमे वादीगण की माता आमनाबानो के पति का नाम गुलाम नबी है एवं नो.स. 1373 जो बिलानाम से आवंटित होने से वादीगण की माता आमना के नाम भूमि आवंटन की जिसमे आमना के पिता का नाम ताजमोहम्मद दर्ज है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त रिकार्ड के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है, अतः	
	आदेश	
	आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा मे स्थित नवीन आ.नं. 3 रकबा ... है. जिसमे 01 का हि. ½ एव वादी सं. 2 लगायत 6 जिसमे प्रत्येक का ¹⁄₁₀ हिस्सा दर्ज किया जावे इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	हस्ताक्षर 18/05/2022 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः-42 / 2022 (2022 / 162) वाद पत्र

अनवान

1-लियाकत हुसैन पिता गुलाम नबी रहमानी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2-अफजल हुसैन पिता अब्दुल हकीम रहमानी नि.बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3-जहीदा बानु पुत्री अब्दुल हकीम रहमानी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4-फरीदा बानु पुत्री अब्दुल हकीम रहमानी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5-मेहनाज बानु पुत्री अब्दुल हकीम रहमानी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6-अनीसा बानु पत्नि अब्दुल हकीम रहमानी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 3 रकबा 0.81 हैक्ट. में खातेदार लियाकतअली पुत्र ताज मोहम्मद 1/2, हकीम मोहम्मद पुत्र ताज मोहम्मद 1/2 मोची निवासी बोराणा के बजाय इन्द्राज दुरस्ती करते हुए वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 2 लगायत 6 प्रत्येक का 1/10-1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

18/05/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested